

राजस्थान सरकार  
निदेशालय महिला अधिकारिता  
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 1(1)(124)स्था/निमअ/2017/पार्ट-1/

जयपुर, दिनांक :


आदेश

सुश्री परवीन मीना नव चयनित सुपरवाइजर, महिला अधिकारिता को निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 15007 दिनांक 18.08.2020 एवं क्रमांक 15195 दिनांक 18.08.2020 के द्वारा नियुक्ति आदेश में उल्लेखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से नियुक्ति प्रदान की गयी थी।

सुश्री परवीन मीना की पारिवारिक परिस्थितियों के कारण नियुक्ति तिथि में कार्यग्रहण करने की अवधि दिनांक 17.02.2021 तक बढ़ाई गयी थी।

उक्त आदेश की निरंतरता में सुश्री परवीन मीना, नव चयनित सुपरवाइजर को कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता टोंक पंचायत समिति देवली में नियुक्त/पदस्थापित किया जाता है।

उक्त अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति की शर्तों के अधीन उक्त पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें।

  
(रश्मि गुप्ता)

आयुक्त

महिला अधिकारिता

क्रमांक: एफ 1(1)(124)स्था/निमअ/2017/पार्ट-1/ 7495-7501

जयपुर, दिनांक : 12/02/21

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
4. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
5. उप निदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता टोंक को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी को आवंटित जिले में कार्यग्रहण के समय अन्य दस्तावेज के साथ पुलिस सत्यापन, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट 'अ, ब, स, द' की सूचना प्राप्त कर उक्त चयनित अभ्यर्थी द्वारा उनके नियुक्ति के जिले में कार्यग्रहण करने के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच कर सही पाये जाने पर निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु जारी किये गये आदेशों के अनुरूप संबंधित ब्लॉक में पदस्थापन किया जावे।
6. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित अभ्यर्थी सुश्री परवीन मीना अभ्यर्थी को आवंटित जिले में कार्यग्रहण के समय अन्य दस्तावेज के साथ पुलिस सत्यापन, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट 'अ, ब, स, द' की सूचना एवं नियुक्ति की शर्तों में वर्णित सूचना कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करेंगी।
8. आदेश पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक, म.अ.